आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2024–25

विभाग का नामः– उद्योग विभाग

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण)									
1.	001–निदेशन एवं प्रशासन 03–राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान	कार्मिक के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय इत्यादि	1113.65	0	74	282	282 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	वर्षान्त तक
2.	104–निदेशक एवं प्रशासन 42–अन्य व्यय	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	35.00	0	0	0	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	वर्षान्त तक
		योगः–	**1148.65**	**0**	**74**	**282**			
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 101–औद्योगिक विकास)									
3.	04–मेगा इण्डस्ट्रियल/मेगा टैक्सटाईल नीति के तहत अनुदान	भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टैक्सटाईल उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में टैक्सटाईल उपक्रमों को आकर्षित एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।	5000.00	0	15	15	15 इकाईयों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ दिया जायेगा।	1–टैक्सटाईल/औद्योगिक उपक्रमों का विकास 2–प्रदेश के पूंजी निवेश में अभिवृद्धि करना 3– रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
4.	05–स्वतंत्र विषेशज्ञों की सुलह समिति (कार्यालय/सचिवालय) 56–सहायक अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	प्रदेश में सिडकुल एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं तथा निजी निवेशकर्ताओं/ उद्योगपतियों/ठेकेदारों के मध्य वित्तीय विवाद के निपटान हेतु अनुकूल वातावरण सृजन।	20.00	0	0	6	6 वित्तीय विवादों का सुलह के माध्यम से निस्तारण।	1–न्यायालयी विवाद न्यून 2–समयबद्ध निस्तारण	वर्षान्त तक
		योग(101):–	**5020.00**	**0**	**15**	**21**			

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 102–लघु उद्योग)									
5.	03–अधिष्ठान व्यय–उद्योग विभाग	प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	3528.50	0	218	318	318 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	उद्योगों की स्थापना/विकास एवं रोजगार सृजन हेतु निदेशालय/जनपद स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	वर्षान्त तक
6.	18–उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना	पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा देते हुये व्यापार के नये अवसर प्रदान करना।	0.11	0	0	0	कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	1–पारम्परिक भारत–चीन व्यापार को बढ़ावा। 2–व्यापार के नये अवसर	वर्षान्त तक
7.	राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता।	जिला एवं राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण।	50.00	0	57	72	जनपद स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति द्वारा 72 बैठकें आयोजित की जायेंगी।	1–उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन। 2–समयबद्ध निस्तारण 3–राज्य में निवेश हेतु बेहतर वातावरण	वर्षान्त तक
8.	क्लस्टर विकास योजना	प्रदेश के जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कर क्लस्टर के रूप में उद्यमों की स्थापना द्वारा पूंजी निवेश प्रोत्साहन एवं स्वरोजगार के साथ–साथ रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना।	200.00	0	2	3	पर्वतीय जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास द्वारा 3 क्लस्टर विकासित किये जायेंगे।	1–नियोजित औद्योगिकीकरण 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3–उद्यमिता विकास।	वर्षान्त तक
9.	राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन नीति।	पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित उद्यम तथा नये उद्यम स्थापना हेतु प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर पलायन की रोकथाम।	150.00	0	0	0	नीति के अधीन प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहनों यथाः विद्युत प्रतिपूर्ति, ब्याज उपादान के रूप में दिया जायेगा।	1–नियोजित औद्योगिकीकरण 2–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूंजी निवेश प्रोत्साहन,	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
								रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3–उद्यमिता विकास।	
10.	मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का अधिष्ठान	केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार से समन्वय करते हुये विभागीय योजनाओं की समीक्षा करना।	47.87	0	12	12	12 कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय।	वर्षान्त तक
11.	उत्तराखण्ड माटी कला परिषद को सहायता	प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित कर उन्हें विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराना।	20.00	0	0	10	माटी कला शिल्पियों को विद्युत चालित चाक/मिट्टी गुंथाई मशीन वितरण।	1–प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित करना। 2–बाजार आधारित विकास	वर्षान्त तक
12.	एमएसएमई अवस्थापना विकास निधि	औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु।	100.00	0	2	2	औद्योगिक आस्थानों का सुदृढ़ीकरण	1–औद्योगिक आस्थान में अवस्थापना विकास 2–लघु उद्योगों की स्थापना 3–रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
13.	महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना	नीति के अन्तर्गत प्रदेश में महिला उद्यमिता के विकास हेतु पूंजी निवेश प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक।	500.00	0	212	135	नीति के अन्तर्गत 135 महिला उद्यमियों को प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे।	प्रदेश में महिला उद्यमिता के माध्यम से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक
14.	प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना	प्रदेश में समुचित औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर उद्यम स्थापना कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ–साथ पलायन पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराना।	5000.00	0	432	450	नीति के अन्तर्गत स्थापित 450 उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की स्थापना से पूंजी निवेश में वृद्धि के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
15.	औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–प्रसार	प्रदेश में स्थापित उद्यमों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु प्रचार–प्रसार तथा बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना।	300.00	0	73	82	3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, 24 राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा 28 जनपद स्तरीय मेले एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ राज्य सरकारों द्वारा 18 सेमीनार आयोजित किये जायेंगे।	1–विपणन प्रोत्साहन 2–योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार 3–उद्यमिता के वातावरण के सृजन हेतु अभिप्रेरणा का विकास	वर्षान्त तक
16.	उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरूष्कार योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा हथकरघा/ हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि तथा उनके शिल्प को प्रोत्साहित करना।	6.00	0	87	87	प्रदेश स्तर पर 9 उद्यमियों एवं शिल्पियों तथा जनपद स्तर पर 78 उद्यमियों एवं शिल्पियों को पुरस्कृत किया जायेगा।	1–उत्पादों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि 2–उत्पाद के साथ–साथ उद्यमी/शिल्पी/ बुनकर का प्रचार–प्रसार 3–उद्यमी/शिल्पी/बुनकर की मान्यता	वर्षान्त तक
17.	विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान	विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान आदि हेतु।	1000.00	0	0	0	निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रख्यापित विभिन्न नीतियों में प्राविधानित प्रोत्साहन।	1–पूंजी निवेश आकर्षित करना। 2–रोजगार सृजन। 3–प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करना।	वर्षान्त तक
18.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	कोविड–19 के पश्चात् विभिन्न देशों/प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना।	5000.00	0	7407	8000	नीति के अन्तर्गत 8000 विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर मार्जिन मनी के रूप में अनुदान देना।	1–स्वरोजगार सृजन। 2–प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करना। 3–पलायन पर रोक	वर्षान्त तक
19.	51–निर्यात नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन	राज्य से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु निर्यातक इकाईयों को प्रोत्साहन।	50.00	0	0	0	नीति के अन्तर्गत प्रदत्त विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किया जाना।	1–निर्यात में वृद्धि 2–निर्यात के मध्य प्रतिस्पर्धा	वर्षान्त तक
20.	52–प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति कार्यक्रम योजना 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत राज्य की परिसम्पत्तियों की जीआईएस मैपिंग कराकर गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही।	500.00	0	0	0			वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
	वेतन)								
21.	53–प्रमोशन आफ इंवेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीन्योरशिप योजना (नई योजना) 56–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	उत्तराखण्ड राज्य में रोजगार के अवसरों के सृजन, उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के अधिकतम उपयोग एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में अभिवृद्धि सुनिश्चित कर राज्य के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक उन्नयन के दृष्टिगत राज्य में आर्थिक गतिविधियों में देश–विदेश से निवेश को आकर्षित करने तथा नवोन्मेष आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने के लिये प्रमोशन आफ इंवेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीन्योरशिप योजना का गठन किया गया है। यह सोसाईटी राज्य की Investment Promotion Agency (निवेश प्रोत्साहन एजेन्सी) के रूप में कार्य करेगी। साथ–साथ यह सोसाईटी स्टार्टअप कार्यक्रम के लिये भी राज्य की क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी। इस प्रकार प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एवं स्टार्टअप क्षेत्र के विकास के लिये एक समर्पित सांगठनिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।	3000.00	0	0	9	1–डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड–ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 के मुख्य आयोजन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन। 2–ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत निर्धारित 292 कार्य बिन्दुओं पर कार्यवाही। 3–स्टार्टअप योजना–2023 का प्रख्यापन एवं 160 स्टार्टअप को मान्यता।	1–रू0 3.5 लाख करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्ताव। 2–सम्भावित रोजगार	5 वर्ष
22.	9501–एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश हेतु।	200.00	0	0	0	केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	वर्षान्त तक
		योगः–	**19652.48**	**0**	**8502**	**9180**			
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 103–हथकरघा)									
23.	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता।	प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की	250.00	0	1	1	कार्यक्रम के अधीन राज्य के शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
		सुविधा प्रदान करना।					समावेश पर दक्ष किया जाना। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।	3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	
24.	शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	राज्य में हस्तशिल्प की प्राचीन धरोहर एवं विभिन्न शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन।	15.00	0	314	314	शिल्पियों को रू0 400/– प्रतिमाह प्रति शिल्पी सम्मान स्वरूप प्रदान करना।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसर हेतु लोगों को प्रोत्साहन, परम्परागत धरोहर का संरक्षण एवं उन्नयन।	वर्षान्त तक
25.	उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरूष्कार	प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशील, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पियों को चयनित कर पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं।	8.00	0	10	10	प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ 10 शिल्पियों का चयन करते हुये पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति।	राज्य की परम्परागत कला एवं संस्कृति को संरक्षित करते हुये उसके संवर्द्धन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।	वर्षान्त तक
		योगः–	**273.00**	**0**	**325**	**325**			
राज्य सैक्टर (2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 105–खादी ग्रामोद्योग)									
26.	खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता **(वेतन भत्ते आदि के**	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं खादी व्यय हेतु।	910.00	0	137	131	131 कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
	लिये सहायक अनुदान)								
27.	खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता	कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार कर प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं के विपणन प्रोत्साहन व प्रशिक्षण।	500.00	0	480	480	22 कार्यालयों का अधिष्ठान व्यय। कताई–बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से 90 कारीगरों का कौशल विकास। बोर्ड से जुड़े 240 आर्टीजनो/कारीगरो कों स्वरोजगार। मेला, प्रदर्शनी, गोष्ठी एवं सेमीनार के माध्यम से 150 इकाईयों को बिक्री प्लेटफार्म में प्रतिभाग कराया गया।	1–खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित वस्त्रों के प्रति लोगों को आकर्षित करना 2–केडिट लिंकेज 3–स्वरोजगार	वर्षान्त तक
28.	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट प्रदान करना।	400.00	0	60	62	60 संस्थाओं के प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 200 बिक्री केन्द्रों में हुई बिक्री के सापेक्ष 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय किया जायेगा।	1–खादी वस्त्रोद्योग को बढ़ावा 2–खादी क्षेत्र में रोजगार सृजन 3–केडिट लिंकेज 4–विपणन प्रोत्साहन	वर्षान्त तक
	योग(105):–		**1810.00**	**0**	**677**	**673**			
29.	**11–**ग्रोथ सेन्टर का संचालन	प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन को रोकने के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।	0	20.00	112	112	112 स्थापित ग्रोथ सेन्टर का संचालन।	1–प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन 2–पलायन पर रोक 3–रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
30.	**4851–102–**सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एन0पी0बी0सहित)	प्रदेश तथा अन्य आस–पास के क्षेत्रों में स्थापित तथा नये प्लास्टिक उद्योगों में प्रोसेसिंग/CAD/CAM परीक्षण, निरीक्षण की सुविधा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	0	1700.00	1	1	एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना।	प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग, बेसिक मशीनिंग, प्लास्टि प्रोडक्ट एण्ड मोल्ड डिजाइन, मोल्ड मैन्यूफैक्चरिंग,	वर्षान्त तक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
								कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग, इलैक्ट्रिकल मेन्टिनेन्स, एडवांश मशीन मेन्टिनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसीए, हाइड्रोलिक्स, पैन्यूमेडिक्स, वैल्डिंग एण्ड फैब्रीकेशन टैक्नोलॉजी आदि में, विशेष रूप से डिजाइन कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	
31.	4851–103–हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान	परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ शोध आदि कार्यों हेतु संस्थान की स्थापना।	0	50.00	1	1	संस्थान की स्थापना द्वारा राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ शोध आदि कार्य।	शिल्पियों को कौशल अभिवृद्धि, डिजाईन विकास तथा शिल्पियों का व्यवसायिक उत्पादन द्वारा आय में वृद्धि के साथ–साथ उनके शिल्प की पहचान प्रदेश से बाहर बनाने हेतु।	वर्षान्त तक
		योगः–	**0**	**1770.00**	**114**	**114**			
	योग(अनुदान संख्या–23):–		**27904.13**	**1770.00**	**9707**	**10595**			

अनुदान संख्या–30
(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1.	उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	20.00	0	1	1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
		योगः–	**20.00**	**0**	**1**	**1**			

अनुदान संख्या–31
(ट्राईबल सब प्लान)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रू0 में)		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1.	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	प्रदेश के जनजातियों के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	10.00	0	1	1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
2.	थारू बोक्स एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान कराना।	50.00	0	75	140	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की 100 महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान की जायेगी।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान कराना।	वर्षान्त तक
		योगः–	**60.00**	**0**	**76**	**141**			

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र0सं0	**SDG** संकेतक	1–4–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2024–25	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2024–25
क्लस्टर विकास योजना	**Goal -8**	–	3	**SPV formation 200 units, CFC established-5, Capacity building for 500 workers**	**Better wages for workers, Skill upgradation and Value added products**
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना	**Goal -8, 9**	432	450	**100 New MSME setup, 500 Self employment, 100 new MSME Credit Linkage**	**Economic development of the State, Promotion of entrepreneurship and self employment in hilly regions, Reverse migration, Stable employment opportunities.**
प्रमोशन आफ इंवेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीन्योरशिप योजना	**Goal -8, 9**	0	292	**Ease of Doing Business Reforms,**	**Achieving EoDB in Uttarakhand**
			160	**Startup Eco-system**	**Development of Startup ecosystem in the State.**
			9	**investuttarakhand.uk.gov.in**	**Attracting Private Investments**
ग्रोथ सेन्टर की स्थापना	**Goal-8**	112	112	**SHG formation-0, CLF-0, Growth Centre-112**	**Better wages for workers, Skill upgradation and Value added products**
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	**Goal -8, 9**	7407	8000	**8000 entrepreneurs to be supported**	**Livelihood generation. supporting reverse migrants under the pandemic sistuation**